

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 1982/आश्विन 5, 1904
No. 435] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 27, 1982/ASHVINA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

बिधिध्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(बिधाधी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1982

का० जा० 695(अ).--राष्ट्रपति ने सविधान के अनुच्छेद 80 के खण्ड (3) के साथ कठिन
उस अनुच्छेद के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य
सभा के चार नाम निर्देशित सदस्यों के, जो 2 अप्रैल, 1982 को उनकी कार्याविधि की समाप्ति
पर सेवा निवृत्त हो गए हैं, स्थानों को भरने के लिए चार सदस्यों को नामनिर्देशित किया है ,

771 GI/81

(1)

अतः लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित चार सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किए जाते हैं:—

1. श्रीमती मरगथम चन्द्रशेखर
2. श्री हयातुल्ला अंसारी
3. श्री वी० एन० तिवारी
4. श्री मदन भाटिया

[एक० 13(1)/82-वि II]

ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, संयुक्त सचिव और
विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 1982

S.O. 695(E).—Whereas the President, in exercise of the powers conferred on him by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution, read with clause (3) of that article, has nominated four members to the Council of States to fill the seats of four nominated members in that House, who retired on the 2nd April, 1982 on the expiration of their term of office :

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the names of the following four members nominated by the President, are hereby notified for general information :—

1. Smt. Baragatham Chandrasekhar
2. Sri Hayat Ulla Ansari
3. Sri V. N. Tiwari
4. Sri Madan Bhatia

[F. No. 13(1)/t]

A. K. SRINIVASAMURTHY, Jt. Secy. and Legislative Counsel